



Govt. Engineering College Ajmer (estd. 1997)

(An autonomous institute of Govt. of Rajasthan)

Tel No. 9214210952

www.ecajmer.ac.in



Right To Information Act 2005

क्रमांक: राअमअ/RTI /2019/ 399

दिनांक: 23.01.19

स्मरण - 1

कार्यालय आदेश

महाविद्यालय के कार्यालय आदेश क्रमांक राअमअ/RTI/2019/378 दिनांक 10.01.2019 के द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत महाविद्यालय में द्वितीय अपील प्राप्त हुई है जिसके क्रम महाविद्यालय के समस्त विभागाध्यक्षों से आग्रह किया गया था कि सत्र 2014-15 से 2018-19 तक की समय-सारणी तथा सत्र 2016-17 से 2018-19 तक संकाय सदस्यों को दिये गये व्यक्तिगत भार की छायाप्रति 05 दिवस में आवश्यक रूप से RTI Cell में उपलब्ध करवाये, किन्तु निम्न विभाग द्वारा सूचना आज दिनांक तक RTI Cell में उपलब्ध नहीं कराई गई है :-

1. ई.सी.ई. विभाग
2. विद्युत अभियांत्रिकी विभाग
3. एम.बी.ए. विभाग

अतः उपरोक्त विभागाध्यक्षों से पुनः अनुरोध है कि उक्त सूचना आज ही RTI Cell में उपलब्ध करा देवें अन्यथा समय पर सूचना नहीं भेजे जाने पर आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

लोक सूचना अधिकारी

प्रतिलिपि:- राअमअ/2019/4789-4793

1. प्राचार्य को सूचनार्थ
2. संबंधित विभागाध्यक्ष को आवश्यक कार्यवाही हेतु
3. रक्षक पत्रावली

लोक सूचना अधिकारी